न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/48/2019	2019/00260	01.10.2019	25.10.2021

1. चिरंजी लाल पुत्र दयालाराम जाति जाट आयु करीब 58 साल, निवासी माजरा काठ तहसील नीमराना व जिला अलवर हाल निवासी बनिहाडी तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ हरियाणा। —अपीलान्ट

बनाम

1. जगदीश पुत्र दयालाराम जाति जांट, निवासी माजरा काठ तहसील नीमराना, जिला अलवर हाल निवासी कनक विहार वार्ड नंबर 2 मौहल्ला बासड़ी कस्बा कोटपुतली जिला जयपुर।
2. तहसीलदार नीमराना, जिला अलवर —असल रेस्पाडेन्ट
3. स्नेहलता पुत्री दयालाराम पत्नि बच्चू सिंह जाति जाट, निवासी माजरी भाण्डा पोस्ट राजवाड़ा तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।
4. राजबाला पुत्री दयालाराम पत्नि रानीसिंह जाति जाट, निवासी माजरी भाण्डा पोस्ट राजवाड़ा तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।
5. सुधा कवंर दयालाराम पत्नि सुबे सिंह जाति जाट, निवासी माजरी काठ तहसील नीमराना, जिला अलवर।
6. अनीता पुत्री सुबेसिंह पत्नि श्री राजवीर सिंह जाति जाट, निवासी माजरी काठ तहसील नीमराना, जिला अलवर हाल काली पहाड़ी तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
7. सुनीता पुत्री सुबेसिंह पत्नि श्री भाल सिंह जाति जाट, निवासी माजरी काठ तहसील नीमराना, जिला अलवर हाल काली पहाड़ी तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
8. सरिता सुबेसिंह पत्नि श्री विकास कुमार, निवासी माजरी काठ तहसील नीमराना, जिला अलवर हाल चकोलिया की ढाणी, मातौर, तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
9. रूडमल पुत्र सुबेसिंह जाति जाट, निवासी माजरी काठ तहसील नीमराना, जिला अलवर।
10. सुरजीत पुत्र दयालाराम जाति जाट, निवासी माजरी काठ तहसील नीमराना, जिला अलवर हाल ए–22 परिवहन नगर खातीपुरा जिला जयपुर राज0।
11. राजेश दयालाराम जाति जाट, निवासी माजरी काठ तहसील नीमराना, जिला अलवर हाल ए–4 शेखावत कालोनी सिरसी रोड जयपुर, जिला जयपुर राज0।
12. कृष्णा पुत्री दयालाराम जाति जाट, पत्नि महेन्द्र निवासी माजरी काठ तहसील नीमराना, जिला अलवर हाल निवासी माजरी भाण्डा तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
13. सुलोचना पुत्री दयालाराम जाति जाट, पत्नि राजेन्द्र, निवासी माजरी काठ तहसील नीमराना, जिला अलवर हाल निवासी माजरी भाण्डा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
14. पवन कुमार पुत्र चिंरजीलाल जाति जाट निवासी माजरा काठ तहसील नीमराना जिला अलवर हाल निवासी बनिहाडी तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा।

—तरतीबी रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार नीमराना का निर्णय दिनांक 28.05.2016 नामान्तकरण संख्या 311 ग्राम माजरा काठ तहसीलदार नीमराना जिला अलवर राज0

उपस्थितः—

01. श्री भूपेन्द सिंह शेखावत —वकील अपीलान्ट
02. श्री मनीष खन्ना —वकील रेस्पॉडेन्ट

जिला कलक्टर, अलवर

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार नीमराना के आदेश दिनांक 28.05.2016 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 311 ग्राम ग्राम माजरा काठ तहसीलदार नीमराना जिला अलवर जिसे बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट को निर्णय की जानकारी दिनांक 05.11.2018 को हुई। 19.11.2018 को नकल प्राप्त कर बिना देरी के अपील पेश की गयी है। देरी के लिए पृथक से दफा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2016 विधि विरूद्व व तथ्यों के विपरीत किया गया है। खसरा नम्बर 145, रकबा 56 ऐयर, 147 रकबा 44 ऐयर, 162 रकबा 52ऐयर, 163/786 रकबा 11 ऐयर, 228 रकबा 19ऐयर, 728 रकबा 26 ऐयर वाके ग्राम माजरा काठ हिस्सा 1/6 व असल रेस्पा0 सं0 01 व तरतीबी रेस्पो0 के पूर्वज मामचंद की खातेदारी की आराजी है। जिन मामचंद के तीन पुत्र दयालाराम, रामेश्वर व सुबे सिंह हुये दयालाराम ने दो विवाह किये थे जिनके प्रथम पत्नी सुरजी देवी व द्वितीय सदा कौर थी सूरजदेवी के दो पुत्र चिरंजीलाल व जगदीश व दो पुत्री स्नेहलता व राजबाला है तथा दूसरी पत्नी के दो पुत्र सुरजीत व राजेश व दो पुत्री कृष्णा व सुलोचना है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजी दादालाई आराजी है। तथा दयालाराम का उक्त आराजी में 1/3 हिस्सा था जिसने अपने 1/3 हिस्से में से 1/6 हिस्सा सूरजी देवी व 1/6 हिस्सा सदा कौर को जरिये रिजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 12.07.2006 दे दिया। जबकी यह जमीन दयालाराम के पिता मामचंद से विरासत में प्राप्त हुई थी तथा मामचंद की मृत्यु के बाद विरासत में मामचंदर के पुत्र दयालाराम, रामेश्वर व सुबे सिंह को 1/3, 1/3 हिस्से अनुसार प्राप्त हुई है इस प्रकार यह आराजी दादालाई आराजी है तथा अबट है जिसमें मिन अपीलांट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान का हक व हिस्सा निहित है। जो वर्तमान में बटी हुई नही है ओर खाता शामिल में चला आ रहा है।

असल रेस्पा0 जगदीश ने मिन अपीलांट व तरतीबी रेस्पा0 के बाला बाला सूरजी देवी माता से अपने हक में वसीयत दिनांक 09.05.2016 को नोटेरी से तस्दीक करा ली। जबकि वसीयतकर्मा सूरजी देवी 85 साल की वृद्व बिना पढ़ी लिखी औरत थी ओर उसे दिखना व सुनना भी बंद हो गया था जिसका नाजायज फायदा उठा कर निशानी अगूंठा लगवा कर वसीयत फर्जी तरीके से अपने स्वंय के गवाह बना कर करा ली। जबकि आराजी सूरजी देवी की स्वअर्जित आराजी नही थी बल्कि विरासत से प्राप्त दादालाई आराजी थी।

न्यायालय सहायक कलक्टर, बहरोड़ के यहां से मुकदमा राजेश कुमार बनाम सदा कोर जिसमें आराजी खसरा नं0 133 पर दिनांक 21.05.2013 से स्थगन चला आ रहा था उसके अलावा ए.सी.एम. बहरोड़ के यहां से मुकदमा अनिता बनाम सुबे सिंह में भी खसरा नं0 133 पर स्थगन चला आ रहा था। साथ ही न्यायालय ए.सी.एम सहाब बहरोड़ के यहा राजेश बनाम सदा कोर में अन्य खसरा नम्बरान मं 05.04.2013 से स्थगन चला आ रह है जो आज वर्तमान तक प्रभावी है। बावजूद स्थगन आदेश तहसीलदार द्वारा निर्णय विधि विरूद्व पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। जगदीश असल रेस्पा0 ने अपनी माता सूरजी देवी से गिफ्ट डीड भी दिनांक 20.05.2016 को वसीयत कराने के उपंरात गलत तरीके से उप पंजियक नीमराना के यहां सूरजी देवी के हिस्से की सभी खसरा नंबरान 145 रकबा 0.56, 147 रकबा 0.44, 162 रकबा 0.52, 163/789 रकबा 0.11 है0 रकबा 228 रकबा 0.19, 728 रकबा 0.26 वाके ग्राम माजरा काठ तहसील नीमराना के 1/6 हिस्सा की गिफ्ट डीड करा ली जबकि सूरजी देवी की स्वअर्जित आय से खरीद की गई आराजी नही थी। ओर विरासत से प्राप्त दादालाई आराजी थी। तथा गिफ्टडीड निष्पादन के समय भी आदाल ए.सी.एम बहरोड़ के यहां से आराजीयात पर स्थगन था। जो वर्तमान में भी प्रभावी हैं उसके बावजूद पटवारी हल्का से मिली भगत कर दिनांक 28.05.2016 को इंतकाल संख्या 311 असल रेस्पा0 अपने नाम करा लिया जबकि स्थगन आदेश प्रभावी था उसके बावजूद गलत तरीके से इंतकाल दर्ज किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में स्थगन का नोट भी लगा रखा था।

जिला कलक्टर, अलवर

उक्त विवादित आराजी में मिन अपीलट चिरंजीलाल व असल रेस्पा0 जगदीश व तरतीबी रेस्पा0 स्नेहलता व राजबाला का बराबर बराबर हिस्सा है यानि 1/4, 1/4 के हिस्सेदार है ओर तहसीलदार महादेय को वारिसान के बारे में पटवारी हल्का द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि सूरजी देवी के दो लडके चिरंजीलाल जगदीश है व दो पुत्री राजबाला व स्नेहलता है ओर यह भी अवगत कराया है कि ए.सी.एम. बहरोड़ द्वारा वर्तमान में स्थगन है। उसके बावजूद भी गलत व विधि विरूद्व तरीके तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है व विधि विरूद्व तरीके इंतकाल संख्या 311 दर्ज कर दिया गया जो निरस्त होने योग्य है।

उक्त आराजी का बंटवारा नही हुआ है और तरतीबी रेस्पा0 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में है इसलिये उन्हे तरतीबी रेस्पॉडेन्ट संख्या 2 लगायत 14 बनाया है जिनके खिलाफ कोई रिलीफ नही चाही गई। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीमराना का आदेश दिनांक 28.05.2016 बाबत इन्तकाल संख्या 311 वाके ग्राम माजरा काठ, तहसील नीमराना अपास्त फरमाया जावें।

विद्वान वकील रेस्पॉडेन्ट ने अपनी लिखित बहस में निवेदन किया कि इन्तकाल संख्या 311 पंजीकृत दानपत्र के आधार पर सही दर्ज किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपील रेस्पॉडेन्ट को तंग व परेशाान करने के लिए की गई है। प्रकरण में विवादित आराजी स्व0 सूरजी देवी पत्नि दयालाराम ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा अपने पति दयालाराम पुत्र मामराज से खरीद की थी तथा खरीद के पश्चात् आराजी का दानपत्र रेस्पॉडेन्ट नं0 1 को किया था। जिसका विधिवत इन्तकाल दर्ज किया गया। जिस पर रेस्पॉडेन्ट काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहें है। अपीलान्ट ने दिनांक 09.05.2016 को स्व0 सूरजी देवी से वसीयत कराने बाबत दर्ज किया है। जो आराजी इस प्रकरण में विवादित नही है। स्व0 सूरजी देवी के हिस्से पर कोई स्थगन नही था। मिन रेस्पॉडेन्ट नं0 1 के नाम दानपत्र विधिवत रूप से स्व0 सूरजी देवी द्वारा स्वयं की खरीदी हुई आराजी का किया हुआ है जिसमें उसके पुत्र अपीलान्ट व पुत्रीयां स्नेहलता व राजबाला का कोई हिस्सा नही है। रेस्पॉडेन्ट नं0 1 अपनी माता स्व0 सूरजी देवी की देखभाल करता था जिससे प्रसन्न होकर स्व0 सूरजी देवी द्वारा अपनी खरीद शुदा सम्मत्ति का दानपत्र किया गया। मौके पर पक्षकारान ने आराजी का बुर्जगों के समय से ही बटवारा कर रखा है। अपीलान्ट ने यह झूठी अपील पेश करने के बाद न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश नं0 2 बहरोड़ में इसी आराजी बाबत दिवानी वाद संख्या 8/2019 चिरंजीलाल बनाम जगदीश वगे0 दिनांक 18.03.2019 को पेश किया गया था। जिसमें दिनांक 14.07.2019 को उभयपक्षो को यथास्थिति बनाये रखने हेतु पांबद किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट मियाद बाहर व कानून के खिलाफ होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकुलाय पर मनन किया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इंतकाल नं0 311 वाके ग्राम माजरा काठ तहसील नीमराना दिनांक 28.05.2016 स्वीकृत होने से पूर्व ही उक्त इंतकाल में दर्ज आराजी खसरा नं0 पर सहायक कलक्टर बहरोड़ द्वारा दिनांक 27.02.2013 को ही स्थगन जारी किया हुआ था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त स्थगन पर गौर ना करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो खारिज योग्य है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार नीमराना को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि गुणावगुण के आधार पर नियमों के आलोक में पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)